मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2005 (फाल्गुन 23, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सुनीलम्, सर्वश्री रामलखन शर्मा, बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, बैतूल जिले के मुलताई स्थित जनपद कार्यालय में क्षेत्रीय विधायक के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के घाटमपुर ग्राम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर हमला करने वालों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री हिम्मत कोठारी, सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री मधुकर हर्णे, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री छत्रपती सिंह, सदस्य, सीधी जिले के -

(क) ग्राम भदौरा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम पुरानी देवसर के पूर्वी टोला में विद्युतीकरण कराये जाने,
(ग) ग्राम बंजारी में छात्रावास खोले जाने,
(घ) ग्राम वस्तुआ में तालाब का निर्माण कराये जाने,
(ङ) ग्राम वस्तुआ में सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने, तथा
(च) ग्राम टमसार स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(2) श्री नानाभाऊ मोहोड़, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम लोधी खेड़ा से रेमंड तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
(ख) छिन्दवाड़ा-नागपुर सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(3) ठाकुर सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम बेलखेड़ा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,
(ख) ग्राम नुनसर में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,
(ग) ग्राम कटरा बेलखेड़ा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,
(घ) ग्राम आरछा से जबलपुर रोड तक सड़क बनाये जाने,
(ङ) ग्राम जरौन से पाटन रोड तक सड़क बनाये जाने,
(च) ग्राम सिमरिया से पाटन तक सड़क बनाये जाने, तथा
(छ) ग्राम चरगवां में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(4) श्री झनकलाल ठाकुर, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम लोटिया में हाई स्कूल खोले जाने,

(5) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, सतना जिले के ग्राम हिनौती में मुख्य नहर के रिसाव को रोकने हेतु नाली बनाये जाने,

(6) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य, बालाघाट जिले के -

(क) सलघट-मानेगांव मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम परसामऊ से पाण्डूतला तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) बिरबा हवाई पट्टी चौक से गांधी चौक बैहर तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(घ) ग्राम दमोह में कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ङ) ग्राम गढ़ी में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(च) ग्राम मोहगांव में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(छ) ग्राम गढ़ी को उप तहसील बनाये जाने, तथा

(ज) मोहगांव-बम्हनी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल शहर के-

(क) वार्ड क्र.5 से बस स्टैंड तक बस चलाये जाने,

(ख) वार्ड क्र.-42 की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) वार्ड क्र. 42 में भैसों की डेरी वाला रोड का डामरीकरण कराये जाने,

(घ) शाहजहांनाबाद स्थित प्रायमरी स्कूल की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(ङ) वार्ड क्र. 42 स्थित कब्रस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने, तथा

(च) विनोबा भावे कालोनी में मकानों का नवीनीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि उपज-मण्डी (संशोधन) विधेयक ,2005 (क्रमांक 5 सन् 2005) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

(3) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि उपज-मण्डी (संशोधन) विधेयक ,2005 (क्रमांक 5 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक 13 मार्च, 2005